JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा

डॉ. मीना कीर

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

षा. नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)

आधुनिक समाज का सदस्य होने के कारण हम इसकी विभिन्न आवष्यकताओं से परिचित हैं। संभवतः षिक्षा इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे सुषिक्षित, योग्य एवं दायित्वपूर्ण नागरिकों का निर्माण करती है, जो प्रगति और उन्नयन में अपना योगदान करने योग्य बन सकते हैं। समाज को औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से प्रबल बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिये व्यावसायिक षैक्षिक अनुसंधान क्रियाकलापों की आवष्यकता है, जिसे प्रभावी व्यावसायिक षिक्षा पूर्ण कर सकती है। सामान्यतः षिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यावसायिक षिक्षा है। वर्तमान परिवेष में इसका अर्थ और भी अधिक व्यापक हो गया है। व्यावसायिक षिक्षा विद्यार्थियों को व्यवसाय का चयन करने, सम्बंधित व्यवसाय कौषल को प्राप्त करने और उस कौषल को विकसित करने हेतु आवष्यक योग्यता अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है।

भारतीय षिक्षा पद्धति में व्यावसायिक षिक्षा का प्रारंभ वर्ष 1964–66 के बीच हुआ, जब राष्ट्रीय षिक्षा आयोग ने अपने सुझावों में व्यावसायिक षिक्षा को सम्मिलित करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इसी आधार पर वर्ष 1986 की राष्ट्रीय षिक्षा नीति में विद्यालयीन विद्यार्थियों के 25 प्रतिषत को व्यावसायिक षिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। व्यावसायिक षिक्षा का विस्तार करने हेतु इसे दूरस्थ षिक्षा पद्धति में भी षामिल किया गया। वर्तमान षिक्षा नीति में परम्परागत षिक्षा और व्यावसायिक षिक्षा को एक ही संरचना के अंतर्गत समाहित करने का प्रयोग किया गया है। अब विद्यार्थी अपनी परम्परागत षिक्षा के साथ ही व्यावसायिक कौषल के आधारभूत सिद्धांतों को जान सकेगे तथा भविष्य में देष की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकेंगे।

प्रस्तुत षोध पत्र का उद्देष्य नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 के सकारात्मक पक्ष तथा इस नीति में व्यावसायिक षिक्षा की अवधारणा को रेखांकित करते हुए आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं का अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी – नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति, 2020 – आवष्यकता, उद्देष्य, महत्वपूर्ण बिन्दु, व्यावसायिक कौषल हेतु प्रावधान, चुनौतियां और संभावनाएं।

प्रस्तावना –

नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति–2020, 21वीं सदी की प्रथम षिक्षा नीति है, जो लगभग 34 वर्ष पष्चात बनाई गई है। भारत की स्वतंत्रता के पष्चात् स्वतंत्र भारत की प्रथम षिक्षा नीति वर्ष 1968 में लागू की गई थी, जो डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुषंसाओं पर आधारित थी। वर्ष 1985 में ''षिक्षा की चुनौतियां'' दस्तावेज की अनुषंसाओं पर आधारित वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई, जिसमें सम्पूर्ण देष के लिये एक समान षैक्षणिक संरचना की अवधारणा को अपनाने का प्रावधान रखा गया था। इस नीति को वर्ष 1992 में संशोधित भी किया गया था। वर्तमान नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति का मुख्य उद्देष्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्चतम करना है। नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति, 2020 हेतु गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन हैं, जिनके नाम पर इस समिति का नाम ''कस्तूरीरंगन समिति'' रखा गया है, जिसकी अनुषंसाओं के आधार पर नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति, 2020 में शिक्षा से सम्बन्धित कई नियमों में परिवर्तन किये गये हैं तथा वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किये गये हैं।

भारत में व्यावसायिक षिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत कम हैं। एक अनुमान के अनुसार 18 से 24 आयु वर्ग के लगभग 5 प्रतिषत से भी कम विद्यार्थी औपचारिक व्यावसायिक षिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य देषों में यह संख्या 50 से 75 प्रतिषत तक है। बच्चों के सम्पूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक षिक्षा के प्रोत्साहन के लिये विषेष प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय षिक्षा नीति–2020 में वर्ष 2025 तक स्कूल एवं उच्च षिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिषत विद्यार्थियों को व्यावसायिक षिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रहे 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित करने की अनुषंसा की गई है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की आवश्यकता –

वर्तमान में वैष्विक परिदृष्य तेजी से बदल रहा है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में विकास की अनंत संभावनाओं को देखा जा रहा है। भारत में षिक्षा की गुणवता को बढ़ाने और नवाचार तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये एक नई षिक्षा नीति की आवष्यकता को एक लम्बे समय से अनुभव किया जा रहा था। भारतीय षिक्षा पद्धति को वैष्विक स्तर पर स्थापित करने, षिक्षा के वैष्विक मानकों को अपनाने तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिये पुरानी षिक्षा पद्धति में परिवर्तन आवष्यक थे।

वर्ष 2015 से प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिये सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी

4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य 6 (एसडीजी 6) में सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और सभ्य काम को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी निर्धारित है। भारत के लिये इन लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये पुरानी षिक्षा नीति में सकारात्मक परिवर्तन करने की आवष्यकता होगी। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक सार्थक कदम है। केन्द्र सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ व्यावसायिक कौषल की अवधारणा को भी नवीन षिक्षा नीति में स्थान दिया है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बंधित प्रमुख प्रावधान –

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक षिक्षा को ध्यान मे रखते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं –

1. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से ही षैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक षिक्षा को षामिल किये जाने तथा इसमें इंटर्नषिप की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

2. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र तथा राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6 प्रतिषत के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेंगी। इसके पूर्व यह निवेष 4.43 प्रतिषत था।

3. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों के व्यावसायिक अध्ययन पर ध्यान दिये जाने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल है।

4. बच्चों के सम्पूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2025 के अंत तक कम से कम 50 प्रतिषत छात्रों को व्यावसायिक षिक्षा दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ–साथ उनके कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। इसके लिये छठवीं कक्षा से ही बच्चों को व्यवसायिक प्रषिक्षण (इंटर्नशिप) से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।

6. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छात्रों को मूल्य आधारित समावेशी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रख गया है, जिससे उनके वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित किया जा सके।

7. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीक का उपयोग तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी (एनईटीएफ) की भी स्थापना करने का प्रावधान है।

8. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को आवष्यक कौषल और ज्ञान से परिपूर्ण करने तथा विज्ञान, तकनीकी, अकादमिक क्षेत्र और उद्योगों में कुषल व्यक्तियों की कमी को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

9. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करने हेतु स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन हेतु विषेष प्रावधान किये गये हैं।

10. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक और षैक्षणिक विषयों तथा पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं रखा जायेगा। इस प्रकार विद्यार्थी अपनी रूचि के विषयों का चयन तथा अध्ययन कर सकेंगे।

11. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में षिक्षकों से यह अपेक्षा रखी गई है कि वह स्वयं पेषे से सम्बंधित आधुनिक विचार, नवाचार और स्वयं में सुधार करने के लिये स्वेच्छा से प्रतिवर्ष 50 घण्टों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में सहभागिता करें।

व्यावसायिक कौषल को मानव जीवन का एक आधारभूत दर्षन एवं स्वभाव माना जा सकता है, जो कि व्यक्ति को स्वभावतः 'कर्म' करने हेतु प्रेरित करता है। यह मात्र धन सृजन करने का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास एवं समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास का एक महामंत्र है जो आत्मनिर्भरता एवं आत्मसहायता के साथ बेहतर तरीके से मानवीय आवष्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रषस्त करता है। नवीन षिक्षा नीति में व्यवसायिक षिक्षा की अवधारणा इस संभावना का द्योतक है कि आत्मविष्वास और इच्छाषक्ति के बल पर स्वयं के व्यवसाय का सृजन करके उसे न केवल आय का माध्यम बनाया जा सकता है अपितु नेतृत्वषीलता का गुण विकसित करके अन्य लोगों को भी स्वरोजगार की दिषा में अभिप्रेरित किया जा सकता है।

चुनौतियां –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत षिक्षा पद्धति में कई महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में इस बात का भी विषेष ध्यान रखा जा रहा है कि विद्यार्थी व्यावसायिक षिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहें, तो उन्हें इसकी आधारभूत समझ हो। इस प्रावधान को लागू करने के लिये विष्वविद्यालय और महाविद्यालय अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके पास विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में उतने संस्थान नहीं हैं, जिनसे टाइअप किया जा सके। विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देषों के अनुसार स्नातक स्तर के डिग्री प्रोग्राम के लिये कुल क्रेडिट का कम से कम 20 प्रतिषत अप्रेंटिसषिप अथवा इंटर्नषिप के लिये आवंटित किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत तीन वर्षीय स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष इसके लिये प्रावधान है। अप्रेंटिसषिप अथवा इंटर्नषिप करने वाले बहुसंख्यक विद्यार्थियों के लिये प्रषिक्षण संस्थान का चयन एक बड़ी चुनौती है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देष्य व्यावसायिक षिक्षा सहित उच्च षिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिषत से बढ़ाकर 50 प्रतिषत तक करना है। इसके लिये उन सभी उच्च षिक्षण संस्थानों को, जिनमें 3000 से अधिक विद्यार्थी हैं, बहुविषयक संस्थान बनाना होगा। व्यावसायिक षिक्षा को अगले दषक में क्रमबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों और उच्च षिक्षा संस्थानों में एकीकृत किये जाने की आवष्यकता होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विष्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद और नेषनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेषन को समाप्त करके नियामक बॉडी बनाएं जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अत्यधिक समय लगने की संभावना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों को लागू करने तथा नये परिवर्तनों को प्रारंभ करने के लिये मध्यप्रदेष के किसी भी सरकारी विष्वविद्यालय में कोई रणनीति नहीं बनाई जा सकी है। विष्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय और विदेषी संस्थानों के साथ षैक्षणिक सहयोग के माध्यम से ज्वाइंट और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिये मई 2022 में रेग्यूलेषन जारी किया है। इसके अंतर्गत प्रदेष के अधिकांष विष्वविद्यालय पात्र ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास नैक का ए ग्रेड ही नहीं है।

संभावनाएं –

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के पष्चात् अब भारत के छात्र भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रोजगारोन्मुखी शिक्षा को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देती है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रस्तावों में एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ सहयोग करेंगे। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।

सभी विद्यार्थी कक्षा 6–8 के दौरान 10–दिवसीय बस्ता रहित कक्षा में भाग लेंगे, जहां वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्न करेंगे। कक्षा 9–12 में विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई के लिए समान इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे, यह स्कूल छोड़ने वाले उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो असंगठित क्षेत्र में नौकरी की तलाश करते हैं, या स्वरोजगार का विकल्प चुनते हैं।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वित्तीय साक्षरता, कोडिंग डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे वैकल्पिक विषयों

की शुरुआत उन विषयों को लाने की इच्छा के संकेत हैं जिनका रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जो छात्रों को रोजगार बाजार के लिए रचनात्मक बदलावों के लिए तैयार करते हैं।

निष्कर्ष –

किसी भी देष के भावी नागरिकों के षैक्षणिक स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिये षिक्षा से सम्बंधित नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। वर्तमान राष्ट्रीय षिक्षा नीति–2020 इसी दिषा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पुरानी षिक्षा नीतियों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रमों की तुलना में समान महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है। नवीन शिक्षा नीति विद्यार्थियों को व्यावसायिक षिक्षा के साथ–साथ मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में व्यावसायिक षिक्षा हेतु किये गये प्रावधानों का क्रियान्वयन यदि सफलतापूर्वक होता है तो निष्चित ही यह नवीन प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में स्नातक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक षिक्षा हेतु किये गये प्रावधानों से भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और देष के युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

संदर्भ –

1. राष्ट्रीय षिक्षा नीति –2020, रोजगार समाचार, नई दिल्ली, ई–संस्करण।
2. नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति –2020, व्यावसायिक षिक्षा की पुनर्कल्पना।
3. दैनिक भास्कर, ई–समाचार पत्र।
4. दैनिक जागरण, ई–समाचार पत्र।
5. नवीन राष्ट्रीय षिक्षा नीति –2020, दृष्टि आईएएस।

————————